International Journal of Applied and Universal Research **E- ISSN No: 2395-0269**
Volume VI, Issue I, February 2019 Available online at: www.ijaur.com

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं उत्पीडन का विश्लेषणात्मक अध्ययन मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में

1. प्रीतान्जली सिंह शोधार्थी शा. (स्वशासी) टी. आर. एस. उत्कृष्ट महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
2. डा. एस. पी. सिंह प्राचार्य शा. विधि महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)
3. डा. ध्रुव कुमार द्विवेदी प्राचार्य सरस्वती विज्ञान महाविद्यालय रीवा (म.प्र.)

सारांश– वस्तुतः भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक आम बात है। इसमें बलात्कार, दहेज, लज्जा भंग, यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा एवं कूरता शामिल है। घरेलू हिंसा की जडें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई है। इसे व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि कोई महिला आवाज मुखर करती है। तो इसका तात्पर्य होता है अपने समाज और परिवार में आमूलचूल परिर्वतन की बात करना। प्रायः देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले दिनो–दिन बढतें जा रहे है। नारी उत्पीडन केवल नारी की ही समस्या नही है बल्कि पूरे समाज की समस्या है और यदि इसकी ओर गम्भीरता से विचार नही किया गया तो समाज के सामने असंख्य और समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं उत्पीडन का विश्लेषणात्मक अध्ययन मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में किया गया है।

मुख्य शब्द–घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, कूरता, पारिवारिक हिंसा, कार्य स्थल पर यौन–उत्पीड़न।

प्रस्तावना –

हम 21वीं सदी में रह रहे हैं फिर भी महिलाओं के विरूद्ध होने वाली हिंसा आम बात हैं जो एक सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय है। यह बड़ी विचलित करने वाली बात है कि मानव सभ्यता के विकास के साथ – साथ यह समस्या भी वीभत्स रूप धारण करती जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का परिवार के प्रति वफादार होना, हिंसा के प्रति चुप्पी साधना , कानूनी निरक्षता व जागरूकता का अभाव पमुख कारण रहें है । यद्यपि शहरी क्षेत्र में तो स्थिति बदल रही है और शिक्षित महिलाएं अपने विरूद्ध अपने प्रति किसी भी प्रकार की पारिवारिक हिंसा को स्वीकार नहीं करती ।घरेलू हिंसा की जडें हमारे समाज तथा परिवार में गहराई तक जम गई है। इसे व्यवस्थागत समर्थन भी मिलता है। घरेलू हिंसा के खिलाफ यदि कोई महिला आवाज मुखर करती है। तो इसका तात्पर्य होता है अपने समाज और परिवार में आमूलचूल परिर्वतन की बात करना। प्रायः देखा जा रहा है कि घरेलू हिंसा के मामले दिनो–दिन बढतें जा रहे है। परिवार तथा समाज के संबंधों में व्याप्त ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अपमान तथा विद्रोह घरेलू हिंसा के मुख्य कारण हैं। परिवार में हिंसा की शिकार सिर्फ महिलाएं ही नही बल्कि वृद्व और बच्चे भी बन जाते है। प्रकृति ने महिला और पुरूष की शारीरिक संरचनाएं जिस तरह की है उनमें महिला हमेशा नाजुक और कमजोर रही है। वही हमारे देश मे यह माना जाता रहा है। कि पति को पत्नि पर हाथ उठाने का अधिकार शादी के बाद ही मिल जाता हैं। इसी तारतम्य में वर्ष 2006 में भारत में घरेलू हिंसा से पीडित महिलाओं, बच्चों अथवा वृद्वों को कुछ राहत जरूर मिल गयी है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा–

पुलिस– महिला, वृद्व अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में आती है। महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहेज प्रताडना तथा अकारण मारपीट प्रमुख है।

राज्य महिला आयोग– कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा अन्य प्रताडना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 उसे घरेलू हिंसा के विरूद्ध संरक्षण और सहायता का अधिकार प्रदान करता है।

आधारशिला (एन0 जी0 ओ0)– परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट, धमकी देना तथा उत्पीडन घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते है। इसके अलावा लैंगिक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत अपराध की श्रेणी में आते है।

(पुलिस, राज्य महिला आयोग तथा एन0 जी0 ओ0 द्ववारा घरेलू हिंसा की जो परिभाषाएं दी गई है उनका तात्पर्य लगभग एक जैसा ही है हालाकि भाषा परिवर्तन है।)

घरेलू हिंसा–विश्व की स्थिति–

महिलाओं को अधिकारों की सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय महिला दशक (1975–85) के दौरान एक पृथक पहचान मिली थी। सन् 1979 में संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का रूप दिया गया था। विस्त्र के अधिकाशं देशों में पुरूष प्रधान समाज है। पुरूष प्रधान समाज में सत्ता पुरूषों के हाथ में रहने के कारण सदैव ही पुरूषों ने महिलाओं को दोयम दर्जे का स्थान दिया है। यही कारण है कि पुरूष प्रधान समाज में महिलाओं के प्रति अपराध, कम महत्व देने तथा उनका शोषण करने की भावना बलकती रही है। ईरान, अफगानिस्तान की तरह अमेंरिका जैसे विकासशील देश में भी महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। अमेंरिका में एक नियम हैं जिसके अनूसार महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है। जिसके अनुसार यदि एक परिवार में मॉ और बेटा है तो वे एक ही शयन कक्ष में मकान के हकदार होंगे।

इससे स्पष्ट है कि अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं के प्रति भेदभाव किया जाता है। दुनिया के सबसे अधिक शक्तिशाली व उन्नत राष्ट्र होने के बावजूद अमेरिका में अनेक क्षेत्रों में महिलाओं को पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त नहीं है।

भारत में घरेलू हिंसा–

दिल्ली स्थित एक सामाजिक संस्था द्वारा कराये गये अध्ययन के अनुसार भारत में लगभग पॉच करोड महिलाओं का अपने घर में हिंसा का सामना करना पडता है। इनमें से मात्र 0.1 प्रतिशत ही हिंसा के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आगे आती है।

घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण–

पालन–पोषण में पित्सत्ता अधिक महत्व रखती है इसलिए लडकी का कमजोर तथा लडके को साहसी माना जाता है लडकी स्वातंत्रय व्यक्तित्व को जीवन की आरम्भ अवस्था में ही कुचल दिया जाता है। घरेलू हिंसा के प्रमुख कारण निम्न माने जाते है–

1. समताबादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव।

2. महिला के चरित्र पर संदेह करना।

3. शराब की लत।

4. इलेक्ट्रानिक मीडिया का दु‘प्रभाव।

5. महिला को स्वावलम्बी बनने से रोकना।

घरेलू हिंसा का दुष्प्रभाव–

महिलाओं तथा बच्चों पर घरेलू हिंसा के शारीरिक, मानसिक, तथा भावनात्मक दुष्प्रभाव पडते है। इसके कारण महिलाओं के काम तथा निर्णय लेने की क्षमता पर प्रभाव पडता है। परिवार में आपसी रिश्तें ओर आस–पडोस के साथ रिश्तों व बच्चों पर भी इस हिंसा का सीधा दु‘प्रभाव देखा जा सकता है।

1. घरेलू हिंसा के कारण दहेज मृत्यु, हत्या और आत्महत्या बढी है। वेश्यावृत्ति की प्रवत्ति भी इसी कारण बढी है।

2. महिला की सार्वजनिक भागीदारी में बाधा होती हैं महिलाओं का कार्य क्षमता घटती है। साथ ही वह डरी–डरी भी रहती है। परिणामस्वरूप प्रताडित महिला मानसिक रोगी बन जाती है जो कभी–कभी पागलपन की हद तक पहुंच जाती है।

3. पीडित महिला की घर में द्वितीय श्रेणी की स्थिति स्थापित हो जाती है।

पुलिस की भूमिका–

1. घरेलू हिंसा के प्रकरणों में कई बार पुलिस द्वारा एफ0 आई0 आर0 दर्ज नही कह जाती, सिर्फ रोजनामचे में लिखा जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रताडित महिलाओं को एफ0 आई0 आर0 की नकल नही दी जाती। मांगने पर अकारण परेशान किया जाता है। आंकडे बढ जाएंगे इस कारण प्रकरण पंजीबद्ध करने से पुलिस बचती हैं

2. पति द्वारा महिलाओं को पीटने अथवा मानसिक यंत्रणा देने को पुलिस बडा मुद्दा नही मानती। अक्सर उसका कहना होता है कि पति ने ही तो पीटा हैं ऐसी क्या बात हो गई, पति मारता है तो प्यार भी करता है। यह कहकर पुलिस प्रताडित महिला को टाल देती है। चूंकि महिला की शारीरिक चोट पुलिस को दिखाई नहीं देती इसलिए भी वह उसे गंभीरता से नहीं लेती।

3. थाना स्तर पर संवेदनशील लोगा नहीं है।

4. पुलिसकर्मी रिश्वत लेकर प्रताडित महिला को समझौते के लिए विवश करते है अथवा प्रकरण को कमजोर कर देते है।

5. पुलिस का कहना होता है कि दहेज तथा घरेलू हिंसा के झूठे प्रकरण ही अधिक होते है।

6. डाकन, नाता आदि मानसिक यंत्रणाओं के मुद्दे पर पुलिस असंवेदनशील है। पुलिस का कहना हैं। कि यह सामाजिक मुद्दा है, पुलिस का नही।

7. 98, मामले में पुलिस बिना किसी प्रशिक्षित पारिवारिक परामर्शदाता के सलाह देती है अथवा समझौता करा देती है न तो इस समझौते में घटना का ब्यौरा होता है और न ही पति द्वारा यह लिखाया जाता है कि भविष्य में वह ऐसा नही करेगा।

परिवार व अन्य अदालतें–

1. महिलाओं का उत्पीडन से मुक्ति दिलाने अथवा दोषियों को उपयुक्त सजा दिलवाने के लिए पारिवारिक अदालतों का गठन सन् 1984 में किया गया था। तब यह माना था कि अब महिला को घरेलू हिंसा से राहत मिल जाएगी।

2. इन अदालतों में कहा जाता है कि वकील की जरूरत नही है पर सारे कागज वकील ही बनाते हैं ओर हर समय जज यही कहते हैं कि तुम्हारे वकील कहां है? उनको लाओ। यह एक बडा विरोधाभास है, इन अदालतों की कथनी और करनी में।

3. सोचा गया था कि इन अदालतों में मामले जल्दी निबट जाएंगे पर इनमें भी समय बहूत लगता है।

4. गुजारा भत्ता के आदेश हो जाते है पर उनका पालन नही होता।

5. इन अदालतों में गवाहों पर बहुत जोर रहता है। पीडिता के लिए गवाह जुटाना मुश्किल होता है।

6. अदालत में जो काउंसलर लगे हुए है उनके चयन में पारदर्शिता नही है वे अपने विषय के विशेषज्ञ भी नही है।

7. पारिवारिक अदालतों के मामलों को लेकर कोई अध्ययन नही हुआ है कि वहां प्रताडित महिलाओं को किन–किन कठिनाइयों का सामना करना पडता है।

8. अच्छे वकील फीस अधिक मांगते है इस कारण पीडित महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है।

जाति पंचायतें–

परिवार–समुदायों, समुदायों की जाति पंचायतों का गांव में अधिक और शहरों में कम प्रभाव है। इनसे जातिवाद बढा है। यह पंचायतें महिलाओं के हक में नही है–

1. इन अदालतों में प्रायः प्रताडित महिलाओं को नही बुलाया जाता बल्कि उनके बारे में एक पक्षीय निर्णय ले लिया जाता है। हर जगह पुरूष प्रधान जाति पंचायते ज्यादा है।

2. जहां महिलाओं की संस्थाएं सक्रिय नही है वहां तो घरेलू हिंसा को लेकर हुए फैसले पूरी तरह एक पक्षीय रहे है।

हस्पक्षेप कैसे हो–

1. शिक्षा संस्थाओं में क्षात्राओं को खुलकर शिक्षा देना चाहिये ताकि वे घरेलू हिंसा की शिकार न हों। उन्हें काउंसिलिंग तथा कानूनी ज्ञान की जानकारी देना उचित होगा।

2. गांव मे यह पता चल जाता है कि किसके घर में समस्या चल रही है शहर मे यह पता नही चल पाता है इस कारण वह हर स्तर पर बात करने की आवश्यकता है। शाहर में समस्याग्रस्त महिलाओं के संदर्भ में पुरूषों पर काउंसिलिग का असर नही होता। इसी कारण पुरूष छात्रों के साथ भी काउंसिलिग का सिलसिला स्कूल–कालेज के स्तर से ही शुरू हो जाना चाहिये।

3. शिक्षा के साथ–साथ लडकियों में आत्मविस्त्रास पैदा हो, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यह काम शिक्षकों का है। शिक्षकों के प्रशिक्षण में इस मुद्दे को शामिल किया जाना चाहिए।

4. सम्पत्ति में लडकियों को पूरा अधिकार होना चाहिए घर का वातावरण लडकी को आत्मविस्त्रासी बनाता है। उसको मजबूत करने की आवश्यकता है।

पुलिस का हस्तक्षेप–

1. पुलिस की भूमिका काफी संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है। उनकी ट्रेन में घरेलू हिंसा एवं महिला संवेदनशीलता को विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिये।

2. प्रत्येक थाने पर प्रतिमाह समस्या का समाधान शिविर आयोजित करने का आदेश निकल चूका है पर उसकी किसी को भी जानकारी नही है। इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए इसका दिन व समय तय होना चाहिए।

3. थाना स्तर पर काउंसलर हो। विशेष रूप से घरेलू हिंसा के मामलों में पुलिस जब समझौता कराती है। तो एक प्रशिक्षित काउंसलर की मदद लेना चाहिए।

महिला आयोंग का हस्तक्षेप–

1. महिला आयोग का महिला हिंसा के संबंध में संदेश सरकार को मिलना चाहियें। वह ताकतवर है, यह संदेश नही जा रहा है। वह अपने ही निर्णय को लागू नही करवा पा रही है। यह स्थिति बदलना होगी।

2. महिला आयेाग को नीतिगत स्तर पर हस्तक्षेप करना चाहियें। जैसे महिला नीति कार्यस्थल पर महिला यौन शोषण के बारे मे उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। महिला विकास कार्यक्रम की क्या उपादेयता है, उसे कैसे सार्थक बनाया जा सकता है। ऐसे कौन से निर्णय एवं कार्य है। जो महिलाओं पर विपरीत प्रभाव डाल रहे है, इन सब पर आयेाग को नजर रखनी चाहिये और समय–समय पर हस्तक्षेप करते रहना चाहिये।

मध्यप्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध–

अपराध	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
हत्या	437	512	480	439	388	364	412
हत्या का प्रयास	202	252	299	216	265	238	308
मरपीट	2491	2756	3619	3750	3030	3242	3168
गहरी चोट	864	768	857	755	642	574	630
छेडछाड	5875	6003	8019	7062	6138	5810	6274
अपहरण	981	813	615	283	469	511	478

बलात्कार	1949	2336	2676	2651	2396	1947	2215
आत्महत्या	430	627	625	546	537	560	624
दहेज हत्या	176	432	543	610	610	584	657
प्रताडना	1334	1882	2430	2735	3052	2760	2482
धमकी देना	1722	2091	4113	6467	5810	6222	6603
महिलाओं की खरीदी बिक्री	0	10	3	6	6	8	17
दहेज प्रकरण	67	69	35	30	69	57	63
टागजनी	67	38	53	61	49	37	58
कुल	**16707**	**18647**	**24530**	**25831**	**23459**	**22926**	**23989**

वर्ष 2018 की स्थिति (31 अगस्त तक)

हत्या	244
हत्या का प्रयास	125
मरपीट	2198
गहरी चोट	482
छेडछाड	3708
अपहरण	380
ब्लात्कार	1500
आत्महत्या	356
छहेज हत्या	340
प्रताडना	1517
धमकी देना	3234
महिलाओं की खरीदी–बिक्री	14

दहेज प्रकरण	24
टागजनी	43
कुल	**14710**

महिला के प्रति हिंसात्मक व्यवहार का वैधानिक स्वरूप और उत्पीडन व्यक्ति पर वैधानिक सजा का प्रावधान–

क.	उत्पीडित महिला के साथ हिंसात्मक व्यवहार (स्वरूप)	वैधानिक अपराध	वैधानिक संभावित धारा	उत्पीडन के प्रति सजा का प्रावधान
1.	मनसिक हिंसा–बेइज्जत करना, ताने देना, गाली–गलौच करना, झूठा आरोप लगाना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करना एवं मायके से न बुलाना इत्यादि हिंसा की धमकी–शारीरिक प्रताडना, तलाक एवं मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा न करने की धमकी देना।	पति या उसके रिश्तेदारों द्ववारा मानसिक या शारीरिक कष्ट देना	498	3 साल
2.	झूठा आरोप लगाना या बेइज्जत करना।		499	2 साल
3.	साधारण शारीरिक हिंसा–चांटा मारना, धक्का देना ओर छीना झपटी करना।	त्माचा मारना, चोट पहुंचाना	319	3 माह
4.	साधारण शारीरिक हिंसा–लकडी या हल्की वस्तु से पीटना, लात मारना।	आत्महत्या के लिए दबाव डालना, साधारण	306	3 साल

हत्या– महिलाओं की हत्या के मामले तेजी से बढ रहे है। चरित्र पर संदेह, दहेज की मांग तथा पारिवारिक कलह के कारण महिला की हत्या करने के मामले अधिक प्रकाश में आ रहे है। कुछ मामलों में जमीन–जायदाद को लेकर भी महिलाओं को मार दिया जाता है। हत्या के अधिकांश मामले 15 से 40 वर्ष की उम्र के दरम्यान होते है।

मारपीट– घर–परिवार में ही महिलाएं सुरक्षित नही है। अक्सर छोटी–छोटी बातों पर उन्हे मारपीट का शिकार होना पडता है। विशेषत–निम्न मध्यमवर्गाय तथा निम्नवर्गीय परिवारों में महिलाओं से मारपीट अधिक होती हैं पति की शराब की लत इसके लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है 20 से 45 वर्ष तक की उम्र की महिलाएं अधिकतर मारपीट की शिकार हो जाती है।

छेडछाड– स्कूल–कालेज के बाहर लडकियों के साथ छेडछाड के प्रकरण अधिक सामने आते है। वहॉ पुलिस का तैनात न होना इसका मुख्य कारण है। इससे असामाजिक तत्वों को बढावा मिलता है 24 वर्ष से कम उम्र की युवतियां छेडछाड की शिकार अधिक होती है।

अपहरण– नाबालिग लडकियों के अपहरण के मामले ज्यादा हो रहे है। साथ ही शादीशुदा महिलाओं का भी बहला–फुसलाकर अपहरण कर लिया जाता है सामान्यतः 12 से 38 वर्ष तक की लडकी युवतियां तथा महिलाओं के अपहरण के मामले अधिक हो रहे है।

बलात्कार– परिवार के सदस्यों तथा रिश्तेदारों के द्ववारा ही बलात्कार करने के मामले अधिक हो रहे है। नाबालिग लडकियों से लेकर अधेडावस्था की महिलाओं को बलात्कार का शिकार बनाया जा रहा है। बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले पीछे कुछ वर्षो में तेजी से बढ रहे है। बलात्कार के एक तिहाई मामले 10 से 30 की उम्र की लडकियों तथा महिलाओं के साथ अधिक होते है।

आत्महत्या– अधिकतर मामले फांसी लगाने के होते है। इसका मुख्य कारण पति द्ववारा शराब पीकर पत्नि के साथ मारपीट करना अथवा ससुराल वालों द्ववारा प्रताडना है। दहेज की मांग भी इसका प्रमुख कारण है। 16 से 30 वर्ष की उम्र की युवतियों तथा महिलाओ द्ववारा आत्महत्या करने के मामले अधिक देखे जाते है।

दहेज हत्या– भौतिक सुख–सुविधाएं बढने के साथ–साथ दहेजलोभियों की मांगे भी बढती जा रही है। निम्न मध्यमवर्गीय तथा अशिक्षित वर्ग ही नही बल्कि उच्चवर्गीय परिवारों में भी दहेज के मामले अधिक हो रहे है।

प्रताडना– पुलिस थानों में मानसिक तथा शाारीरिक प्रताडना देने के मामले तेजी से बढ रहे हैं गरीब तथा अशिक्षित वर्गो में प्रताडना के मामले अधिक होते है। शराब की लत, जुआं तथा आवरगी इसके प्रमुख कारण है।

महिलाओ की खरीदी–बिकी– महिलाओं तथा युवतियों का अपहरण कर उन्हे बेचने का कृत्य खूब फल–फूल रहा हैं गरीबी के कारण भी यह घिनौना कृत्य बढ रहा है। 14 से 30 वर्ष की उम्र की युततियों तथा महिलाओं को बेचने का घृणित धंधा तेजी से बढा हैं मामले का एक पक्ष यह भी है कि उन्हें खरीदने वाले पुलिस के घेरे या कानूनी सजा से बच जाते है।

घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006–
घर में पुरूष के साथ रह रही महिला को यदि पीटा जाता है, धमकी दी जाती है अथवा प्रताडित किया जाता है ता वह घरेलू हिंसा की शिकार हैं ऐसी प्रताडित महिला घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत और सहायता प्राप्त कर सकती है–
घरेलू हिंसा के उदाहरण

(1)– शारीरिक हिंसा
1. मारपीट करना
2. थप्पड मारना
3. ठोकर मारना
4. दांत से काटना
5. लात मारना
6. मुक्का मारना
7. धकेलना
8. किसी अन्य रीति से शारीरिक पीडा या क्षति पहुॅचाना

(2)– लैंगिग हिंसा
1. बलात्कार लैंगिग मैथुन
2. अ" लील साहित्य या कोई अन्य अ" लील तस्वीरों या देखने के लिए विवश करना
3. दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने, अपमानित या नीचा दिखाने की लैगिंग प्रवृत्ति का कोई अन्य कार्य अथवा जो प्रतिष्ठा का उल्लंघन करता हो या कोई अन्य अस्वीकार्य लैंगिक प्रकृति का हो।

(3)– मौखिक और भावनात्मक हिंसा
1. अपमान
2. गालियां देना
3. चरित्र और आचरण पर दोषारोपण
4. पुत्र न होने पर अपमानित करना
5. दहेज इत्यादि न लाने पर अपमान
6. नौकरी करने से निवारित करना
7. नौकरी छोडने के लिये दबाव डालना
8. घटनाओं के सामान्य क्रम में किसी व्यक्ति से मिलने से रोकना
9. विवाह नही करने की इच्छा पर विवाह के लिये विवश करना
10. पसंद के व्यक्ति से विवाह करने से रोकना
11. किसी विशेष व्यक्ति से विवाह करने के लिए विवश करना
12. आत्महत्या करने की धमकी देना
13.कोई अन्य मोखिक या भावनात्मक दुर्व्यवहार

(4)– आर्थिक हिंसा
1. बच्चों के अनुरक्षण के लिये धन उपलब्ध न कराना
2. बच्चों के लिए खाना, कपडें और दवाइयां उपलब्ध न कराना
3. रोजगार चलाने से रोकने अथवा उसमें विघ्न डालना
4. रोजगार करने के अनुज्ञात न करना
5. वेतन पारिश्रामिक इत्यादि से आय को ले लेना
6. वेतन पारिश्रामिक उपभोग करने का अनुज्ञात न करना
7. घर से निकलने को विवश करना

निष्कर्ष:
किसी भी अच्छे समाज की पहचान उस समाज की महिलाओं से मानी गई है। एक अच्छी मॉ ही अच्छे गुणों का विकास कर सकती है और देश को अच्छे नागरिक दे सकती है। स्वामी विवेकानन्द जी ने कहा है कि अच्छें सपूतों ओर नागरिकों के लिए अच्छी माताऐं होना अति आवश्यक है। पूरी दुनिया में समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी नही रही लेकिन वर्तमान में इस स्थिति में भारी सुधार देखने को मिल रहा है। बाहर की दुनिया से सम्पर्क बढेगा तो वे खुद को संभालने में सक्षम होंगी और मनोवैज्ञानिक रूप से ताकतवर भी। महिलाओं के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी है न केवल अपने विचार परिर्वतन की बल्कि परिवार व समाज परिवर्तन की जिम्मेदारी भी उसी की है। इस प्रकार यदि सामाजक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया जाए, महिलाओं को शिक्षित, जागरूक एवं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर किया जाए, नैतिक मूल्यों के महत्व को समझा जाए, कानून एवं न्याय व्यवस्था में सुधार किया जाए तो इस बात की कहीं अधिक सम्भावनाऍ हैं कि आने वाले कल में राष्ट्रीय जीवन में महिलाऍ पुरूषों से बेहतर नही तो उनके बराबर स्तर पर अपने को दृढता से स्थापित कर सकेंगी और उत्पीडन का शिकार नही होंगी। परन्तु आवश्यकता इस बात की है कि महिलाओं को जागरूक किया जायें। ताकि वे किसी भी प्रकार के पारिवारिक उत्पीड़न का मुकाबला करने में सक्षम हो।

सन्दर्भ सूची–

1. अरविन्द जैन, औरत होने की सजा, नई दिल्ली : विकास पेपर बैक्स, 1994.
2. राम आहूजा, सामाजिक समस्याएं, रावत पब्लिकेशन्स , जयपुर, 2011
3. माला दीक्षित, कानून असरदार व्यवस्था बेकार, दैनिक जागरण , पानीपत, 30 दिसम्बर 2012
4. आर.एम.सोनकेम्बल, कम्बेटिंग डोमेस्टिक वॉयलेंस अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया , थर्ड कॉन्सेप्ट वॉल्यूम 28, जून 2018
5. नेशनल क्राइम रिकार्ड व्यूरो, इण्डिया टुडे, एक रिपोर्ट, नई दिल्ली, 2000.
6. वुमेन्स लिंक, वॉल्यूम 20 (2), अप्रैल–जून 2014
7. महेन्द्र कुमार मिश्रा, भारत का सामाजिक इतिहास,कल्पना प्रकाशन दिल्ली, 2014
8. वंदना सक्सेना, महिलाओं का संसार और अधिकार, मनीषा प्रकाशन, दिल्ली 2004
9. पी.'शोभा, डोमेस्टिक वॉयलेंस इन इंडिया, थर्ड कॉन्सेप्ट, वॉल्यूम 28 अप्रैल 2014
10. जी.एल.'शर्मा सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर,2015
11. योगेन्द्र नारायण शर्मा, 'बढता हुआ नारी उत्पीडन पुलिस के लिए चुनौती', उत्तर प्रदेश पुलिस पत्रिका, पी0टी0सी0 प्रकाशन, 1 अक्टूबर, 1990.